राजस्थान–सरकार
कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग

क्रमांकः प0 9(3)कार्मिक/क–3/निरी0/98 पार्ट जयपुर, दिनांक 20 SEP 2016

अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव/समस्त संभागीय आयुक्त/
जिला कलक्टर/समस्त विभागाध्यक्ष।
(कृपया अपने अधीनस्थ विभागों को इसकी प्रति भिजवावें)

–::परिपत्र::–

विषयः–विभागीय जांच प्रकरणें के शीघ्र निष्पादन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्यसेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण हेतु समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहें है, जिसमें मुख्यतः इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.05.2002 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त परिपत्रानुसार प्रकरण का विभाग स्तर पर समुचित परीक्षण किए बिना ही कार्मिक विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाते है, जिसकी कार्मिक विभाग द्वारा जांच किए जाने पर अनेक प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है जिनकी पूर्ति के लिए प्रशासनिक विभाग से अनेक बार पत्राचार किया जाता है एवं अपचारी अधिकारी को समय पर आरोप पत्र जारी नहीं हो पाता है।

इस विषय को मुख्य सचिव महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं निर्देश जारी किए है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर सम्पूर्ण प्रकरण का समुचित परीक्षण कर ही कार्मिक विभाग को परिपत्र 23.05.2002 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो एवं कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो।

अतः परिपत्र दिनांक 23.05.2002 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को स्मरण कराया जाता है कि **दिनांक 23.05.2002 के परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना करते हुए ही अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किए जावें।**

(भास्कर ए0 सांवत)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः–ए0सी0पी0, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन संयुक्त सचिव